

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं०.400

थाना कांड सं०.-256 वर्ष-2014 थाना-कटिया जिला-गोपालगंज से उत्पन्न

=====

फैयाज अली, पुत्र- मनीर अली, निवासी- गाँव-पिपरा, थाना माझीगढ, जिला- गोपालगंज

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी/ गण

=====

2017 का आपराधिक अपील के साथ (खंड पीठ) संख्या 241

256 वर्ष-2014 थाना-कटिया जिला-गोपालगंज से उत्पन्न

=====

हीरा साहनी, पुत्र- दीपलाल साहनी, निवासी- बडी जगदीश, थाना- उचका गाँव, जिला- गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी/गण

=====

2017 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) सं. 413

थाना कांड सं०-256 वर्ष-2014 थाना-कटिया जिला-गोपालगंज, से उत्पन्न

=====

राजू बिंद उर्फ राजालाल बिंद उर्फ राजू बिन, पुत्र-स्वर्गीय त्रिवेणी बिंद, निवासी- गाँव मकसूदपुर, थाना-यादोपुर, जिला-गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रतिवादी/गण

=====

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- भारतीय दंड संहिता (भा०दं०सं०)-धारा 302,307,394,411,34
- शस्त्र अधिनियम-धारा 25,25 (1-बी) ए, 26/35,27 (1)

अपील-दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत-दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ-आई. पी. सी. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए, 26/35 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत दोषसिद्धि- सूचक ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति शराब की दुकान पर आए और दुकान लूट ली। इसके अलावा, उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने टकराव के दौरान कुछ लोगों पर हमला किया और एक व्यक्ति को गोली मार दी। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी, उसकी 23 दिनों के बाद मौत हो गई।

आयोजित-अभियुक्त की उपस्थिति में जब्ती सूची तैयार नहीं की गई थी-जांच एजेंसी द्वारा टी. आई. पी. का संचालन नहीं किया गया-अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में बड़े विरोधाभास और विसंगति हैं-बरामद किए गए पिस्तौल एफ. एस. एल. विश्लेषण और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय के लिए नहीं भेजे गए थे-मृतक का बयान पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया था-डॉक्टर जिन्होंने घायलों का इलाज किया था, उनकी जांच नहीं की गई थी-आई. ओ. को घटना के स्थान पर आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिले-अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है-दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं०.400

थाना कांड सं०.-256 वर्ष-2014 थाना-कटिया जिला-गोपालगंज से उत्पन्न

=====

फैयाज अली, पुत्र- मनीर अली, निवासी- गाँव-पिपरा, थाना माझीगढ, जिला- गोपालगंज

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी/ गण

=====

2017 का आपराधिक अपील के साथ (खंड पीठ) संख्या 241

256 वर्ष-2014 थाना-कटिया जिला-गोपालगंज से उत्पन्न

=====

हीरा साहनी, पुत्र- दीपलाल साहनी, निवासी- बडी जगदीश, थाना- उचका गाँव, जिला- गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी/गण

=====

2017 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) सं. 413

थाना कांड सं०-256 वर्ष-2014 थाना-कटिया जिला-गोपालगंज, से उत्पन्न

=====

राजू बिंद उर्फ राजालाल बिंद उर्फ राजू बिन, पुत्र-स्वर्गीय त्रिवेणी बिंद, निवासी- गाँव मकसूदपुर, थाना-यादोपुर, जिला-गोपालगंज

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

(2017 की आपराधिक याचिका (खंड पीठ) संख्या 400 में):

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अजय ठाकुर, अधिवक्ता
 श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
 श्री नीलेश कुमार अधिवक्ता,
 राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, स०लो०अभि०

(2017 का आपराधिक आवेदन (डीबी) संख्या 241)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय ठाकुर, अधिवक्ता
 श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
 श्री अमित कुमार राकेश
 राज्य के लिए : श्री बिपिन कुमार, स०लो०अभि०

(2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 413)

अपीलार्थी के लिए : श्री अजय ठाकुर, अधिवक्ता
 श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
 श्री नीलेश कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, स०लो०अभि०

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल. एम. पंचोली)

तिथि-. 19.01.2024

वर्तमान अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (इसके बाद द० प्र० सं० के रूप में संदर्भित) की धारा 374(2) के तहत दायर की गई हैं, जिसमें 30 जनवरी 2017 के दोषसिद्ध के सामान्य आदेश और 6 फरवरी 2017 के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-1, गोपालगंज द्वारा कटया थाना के कांड सं० 2014 के 256 से उत्पन्न सत्र विचरण सं 2016 की 109, जिसके द्वारा सभी अपीलकर्ताओं को भा०द०सं० की धारा 302 और शास्त्र अधिनियम की 25 (1बी) ए, 26/35 और 27(1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी

ठहराया गया है जिसे चुनौती दी गई है, उन्हें भा०दं०सं० की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 10,000/- रु० के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा , शास्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बी) ए के तहत अपराध के लिए प्रत्येक को 1000/- रु० के जुर्माने के साथ दो साल की कठोर कारावास, शस्त्र अधिनियम की धारा 26/35 के लिए प्रत्येक को अपराध के लिए 1000/- रु० के जुर्माने के साथ 3 साल की कठोर कारावास एवं शस्त्र अधिनियम 27(1) के तहत 5 साल की सजा और 1000/- रु० का जुर्माना का आदेश दिया गया है, जुर्माने का भुगतान न करने पर अपीलकर्ता को छह महीने के साधारण कारावास से दंडित करने का आदेश दिया गया है। सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है ।

2. श्री अजय ठाकुर, अधिवक्ता श्रीमती वैष्णवी सिंह की सहायता से, श्री नीलेश कुमार और श्री अमित कुमार प्रकाश, अपीलार्थियों के अधिवक्ता और श्री सुजीत कुमार सिंह, श्री बिपिन कुमार और श्री अभिमन्यु शर्मा, विद्वान स०लो०अभि० उत्तरदाता-राज्य के लिए,

3. अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है:

“01.11.2014 को, लगभग 9:00 बजे अपराहन को सूचना देने वाला एक अन्य विक्रेता संजय साह और मकरध्वज चौधरी के साथ शराब की दुकान पर था। चार लोग दुकान पर आए और उनमें से तीन अंदर आए और एक बदमाश ने संजय साह के टेम्प्रल क्षेत्र पर अपनी पिस्तौल तान दी, जबकि एक अन्य ने मकरध्वज चौधरी पर हमला किया, जिसमें वह घायल हो गया। दो अन्य लोगों ने अलार्म नहीं बजाने की धमकी दी। इस बीच, एक आरोपी ने कैश बॉक्स से एकत्र की गई राशि निकाल ली। इस बीच, एक अनूप कुमार जयसवाल दुकान पर आया और उनका विरोध करने की कोशिश की, जिस पर एक आरोपी ने अपनी देसी पिस्तौल से उस पर गोली चला दी जो घातक साबित हुई। इसके बाद, सभी आरोपी अपनी मोटरसाइकिलों पर नकदी और शराब लेकर भागने लगे। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जबकि ग्रामीणों ने उपद्रवियों का पीछा करना शुरू कर दिया। जब वे छित्ताना स्कूल के पास थे, तो पुलिस दल भी वहाँ आया, जिस पर उन्होंने उपद्रवियों का पीछा करना बंद कर दिया और ग्राम लौट आए। 02.11.2014 6:45 बजे, पुलिस बदमाश के

पास से दो मोटरसाइकिल, 12 जिंदा कारतूस लेकर आई और नकदी लूट ली। प्रत्यक्षदर्शी जो सेल्समैन हैं, उन्होंने आरोपी की पहचान उन उपद्रवियों के रूप में की है जिन्होंने कथित अपराध को अंजाम दिया है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपनी पहचान हीरा साहनी, पुत्र-दीपलाल साहनी, निवासी-ग्राम बरारी जगदीश, थाना उचकाग्राम, जिला गोपालगंज के रूप में प्रकट की। फैयाज अली, पुत्र-मणिर अली, निवासी-ग्राम पिपरा मांझा, थाना मंझागढ़, जिला। - गोपालगंज, राजू बिन उर्फ राजलाल बिन, पुत्र-स्वर्गीय त्रिवेणी बिन, निवासी-ग्राम खाप मकसूदपुर, थाना यादोपुर, जिला। - गोपालगंज और रोहित कुमार सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह, पुत्र-चंद्रिका सिंह, निवासी-ग्राम गोपालपुर, थाना मुफसिल सिवान, जिला- सिवान। यह विशेष रूप से कहा गया है कि आरोपी रोहित कुमार उर्फ अशोक कुमार सिंह ने अनूप कुमार जायसवाल पर अपनी देसी पिस्तौल (कट्टा) से गोलीबारी की थी।

4. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना 01.11.2014 को लगभग 9:00 बजे अपराह्न में सूचना देने वाले ने अन्य ग्रामीणों के साथ दो मोटरसाइकिलों पर आए चार लोगों का पीछा किया। उस समय, पुलिस भी वहाँ आई और इसलिए, सूचक और अन्य ग्रामीण छितौना में स्थित स्कूल के पास से लौट आए। प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि लगभग 6:45 बजे अगले दिन सुबह, पुलिस चार लोगों के साथ आई जिन्होंने कथित रूप से डकैती का अपराध किया है और देशी पिस्तौल (कट्टा) से गोलीबारी भी की है। उक्त चार व्यक्तियों की पहचान सूचक और अन्य तीन व्यक्तियों द्वारा की गई है। आगे उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिस आरोपी के साथ मौजूद थी, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि सूचक ने 8:30 बजे पुलिस को लिखित शिकायत दी है 02.11.2014 की सुबह पूरे विवरण का वर्णन करते हुए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस को किसने जानकारी दी थी और जो कथित जानकारी थी, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह आश्चर्य की बात है कि पुलिस चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद घटना स्थल पर आई और यह आरोप लगाया जाता है कि सूचक और अन्य

तीन व्यक्तियों ने अभियुक्त की पहचान उपद्रवियों के रूप में की है जिन्होंने डकैती की है और अनूप कुमार जायसवाल पर गोली चला दी है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षण पहचान परेड (इसके बाद 'टी. आई. पी.' के रूप में संदर्भित) कानून के प्रावधान के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी और पुलिस की उपस्थिति में और कोई *पंचनामा* तैयार किए बिना आरोपी की पहचान को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी को आरोपी की पहचान छिपानी चाहिए थी और यह पुलिस का कर्तव्य था कि वह तथाकथित गवाहों के सामने आरोपी की पहचान उजागर न करे।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त से दो मोटरसाइकिल, बारह कारतूस और 7000/- रु० की राशि बरामद की गई थी, लेकिन आग्नेयास्त्रों की जब्ती का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, हालांकि जब्ती-सूची पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन उक्त जब्ती सूची के गवाहों से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।

6. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि शुरू में प्राथमिकी शस्त्र अधिनियम की धारा-27 और 25 (1-बी) (ए) और 26 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा-307, 394 और 411 (इसके बाद भा०दं०सं० के रूप में संदर्भित) के तहत दर्ज किया गया था, घायल की 23 दिनों से अधिक की अवधि के बाद मृत्यु हो गई। हालाँकि, अभियोजन पक्ष 23 दिनों की उपरोक्त अवधि के दौरान घायलों को दिए गए चिकित्सा उपचार के बारे में कोई सबूत दर्ज करने में विफल रहा है। घायल का इलाज करने वाले डॉक्टर की अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित भा०दं०सं० की धारा-394, 302 और 34 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय ने भा०दं०सं० की धारा-302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा-27 और 25 के तहत आरोप तय किया है, न कि भा०दं०सं० की धारा-394 के तहत। इस प्रकार, विद्वत अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने भा०दं०सं० की धारा-394 के तहत दंडनीय अपराध करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया है। यह आगे प्रस्तुत किया

जाता है कि अभिलेख पर रखी गई सामग्री और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप से, यहां तक कि धारा-302 के तत्व भी। भा०दं०सं० के मामले नहीं बनाए गए हैं, जिसके बावजूद विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि का विवादित आदेश दर्ज किया है। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि विवादित आदेश को खारिज कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

7. दूसरी ओर विद्वान स०लो०अभि० श्री सुजीत कुमार सिंह ने इन अपीलों का विरोध किया है। यह मुख्य रूप से तर्क दिया जाता है कि सूचक और दो अन्य अभियोजन-गवाह चश्मदीद गवाह हैं। शुरू में, सूचना देने वाले को उन व्यक्तियों के नामों के बारे में पता नहीं था जो दुकान पर आए और कथित अपराधों को अंजाम दिया। जब पुलिस अभियुक्तों को पकड़कर गाँव ले आई तो सूचक और दो अन्य चश्मदीद गवाहों ने अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान कर ली। यहां तक कि चश्मदीद गवाहों ने भी उन अभियुक्तों की पहचान की है जो मुकदमे के दौरान अदालत में मौजूद थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की मृत्यु उसे लगी आग्नेयास्त्रों की चोटों के कारण हुई थी और इसलिए, जब चिकित्सा साक्ष्य चश्मदीद गवाहों के मामले का समर्थन करते हैं, तो विद्वत निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटियां नहीं की है। इसलिए विद्वान स०लो०अभि० ने इन अपीलों को खारिज करने का आग्रह किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा रखे गए पक्ष की गई दलीलों पर विचार किया है।

9. हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री और अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

10. प्राथमिकी दाखिल करने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।

11. रिकॉर्ड से, यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने पांच चश्मदीद गवाहों को पेश किया है, अर्थात् पीडब्लू.1 से पीडब्लू. 5

12. पी. डब्ल्यू.1, मकरध्वज चौधरी ने अन्य बातों के साथ कहा है कि प्रश्नगत घटना लगभग डेढ़ साल पहले 9:00 बजे अपराह्न में हुई थी। वह प्रभु नाथ गुप्ता और संजय साह के साथ शुभ नारायण चौधरी की शराब की दुकान पर मौजूद थे। चार अज्ञात व्यक्ति वहाँ आए और एक आरोपी ने अपनी पिस्तौल प्रभु नाथ गुप्ता पर तान दी और दूसरी गोली अनूप साह के पेट पर मारी। आरोपी शराब की बोतलें और नकदी भी ले गया। गवाह और अन्य ग्रामीणों ने अभियुक्तों का पीछा किया और अभियुक्तों को कल्याणपुर उच्च विद्यालय के पास पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से लूटी गई वस्तुएं बरामद की गईं। गवाह अदालत में मौजूद दो अभियुक्तों की पहचान करने का दावा करता है लेकिन उनके नाम नहीं जानता है।

12.1. गवाह ने अपनी जिरह में कहा है कि पुलिस घटना के एक घंटे बाद आई थी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने आगे कहा है कि कल्याणपुर स्कूल जमुनाहा बाजार से जमुनाहा बाजार से 7-8 किलोमीटर दूर है। जिस स्थान पर गोली मारी गई थी। वहां थोड़ा खून बह गया था। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। रात में कम दृश्यता के कारण वह मोटरसाइकिल का नंबर नहीं देख सका। मोटरसाइकिल से उनका पीछा करने के 10 मिनट बाद अभियुक्तों को पकड़ लिया गया।

13. अभि०ग० 2, अर्थात् संजय साह ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि यह घटना लगभग डेढ़ साल पहले 9:00 बजे अपराह्न में हुई थी। वह झूटी पर था जब चार अज्ञात लोग दुकान में घुसे, जिनमें से तीन अंदर आ गए। उनमें से एक ने प्रभुजी गुप्ता के टेम्पोरल क्षेत्र पर अपनी पिस्तौल तान दी और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। हुल्ला होने पर जब अनूप जयसवाल घटनास्थल पर पहुंचे तो एक आरोपी ने उन पर गोली चला दी। इलाज के दौरान पी. जी. आई., लखनऊ में उन्होंने दम तोड़ दिया। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो गवाह और अन्य लोगों ने भी आरोपी का

पीछा किया। पुलिस ने कल्याणपुर स्कूल के पास आरोपी को गिरफ्तार किया और दो कट्टा, गोलियां और 12,000/-रु० की राशि बरामद की। उन्होंने अदालत में मौजूद दोनों अभियुक्तों की पहचान कथित अपराध करने वाले दोषियों के रूप में की। वह उनके नाम नहीं जानते। वह दूसरे आरोपी की पहचान चेहरे से कर सकता है।

13.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि वह बरामद किए गए नोटों का मूल्य नहीं बता सकते हैं। दुकान की दैनिक बिक्री लगभग 40,000/-रु० थी। उन्होंने आगे कहा है कि आरोपी लूट में बोतलें ले गए। वह संख्या का वर्णन नहीं कर सकते हैं और शराब की बोतलों के ब्रांड का नाम नहीं बता सकते हैं। वह यह नहीं कह सकते कि किस आरोपी कट्टा और गोलियां बरामद की गईं। अभियुक्तों को शराब की दुकान पर लाया गया जहाँ उन्होंने 10:30-11:00 अपराह्न बजे उनकी पहचान की।

13.2. अपनी जिरह में, आरोपी हीरालाल साहनी की ओर से, उसने कहा है कि संबंधित थाना को फोन पर जानकारी दी गई थी, लेकिन जिसने सूचित किया था, वह उसे ज्ञात नहीं है। वह यह नहीं बता सकते कि पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में कितना समय लगा। वह यह नहीं कह सकते कि पुलिस एक घंटे के बाद पहुंची या तीन घंटे के बाद। कल्याणपुर हाई स्कूल जमुनाहा बाजार से 6 से 7 कि. मी. दूर है। जमुनाहा बाजार से दूर। बरामद किए गए पैसे या शराब की बोतलों पर कोई विशेष निशान नहीं था।

14. अभि०ग० 3, अर्थात् राजन जैसवाल, ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बयान दिया है कि प्रश्नगत घटना लगभग डेढ़ साल पहले 9:00 बजे शाम को हुई थी। चार आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर शराब की दुकान पर आए और उनमें से तीन दुकान के अंदर चले गए और एक बाहर खड़ा था। सेल्समैन संजय साह और प्रभुनाथ गुप्ता पर तीन में से दो पिस्तौल का निशाना लगाया और तीसरे आरोपी ने मकरध्वज चौधरी के साथ मुट्ठी से हाथापाई और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस बीच, एक आरोपी ने शराब की बोतलें और शराब बेचकर एकत्र किए गए पैसे निकाल लिए। इस बीच एक आरोपी ने अनूप जायसवाल पर गोली चला दी जो उनके पेट के बाईं ओर लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया। वह अदालत में आमने-सामने उपस्थित दोनों अभियुक्तों की पहचान करता है

और वे अपराध करने में शामिल थे। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। अभियुक्तों का पीछा किया गया और पुलिस ने उन्हें कल्याणपुर हाई स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया। लूटी गई शराब की बोतलें, कैश बॉक्स से लूटी गई राशि और अभियुक्तों की मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। अभियुक्तों को घटना स्थल पर लाया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ रिपोर्ट तैयार की गई थी। गवाह ने उसी पर अपना हस्ताक्षर किया, जिसकी कार्बन प्रति साक्ष्य-1 के रूप में चिह्नित थी।

14.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि कल्याणपुर जमुनाहा बाजार से 5 से 7 किलोमीटर दूर है। उसे थाने में आरोपी की पहचान करने का मौका नहीं मिला। वह पुलिस की जीप में मौजूद नहीं था। वह जीप का पीछा कर रहा था।

15. अभि०ग० 4, अर्थात् जवाहर केशरी, ने अपने मुख्य परीक्षा में *अन्य बातों के साथ* कहा है कि घटना की तारीख को चार आरोपी दो मोटरसाइकिलों पर शराब की दुकान पर आए थे। उनमें से तीन एक इमारत के अंदर चला गया और एक द्वार पर खड़ा था। अभियुक्त व्यक्तियों ने दो विक्रेताओं पर देसी पिस्तौल तान दी और एक अभियुक्त ने एक बड़े बोरे में शराब की बोतलें और नकदी रखना शुरू कर दिया। एक आरोपी दुकान से बाहर आया, अनूप जायसवाल पर हमला करना शुरू कर दिया और अंत में उस पर गोली चला दी जो उसके पेट में लग गई। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें दो आग्नेयास्त्रों, जिंदा गोलियों, शराब की बोतलों और नकदी जिन्हें दुकान से लूटा गया था, के साथ गिरफ्तार किया। वह कटघरों में मौजूद दोनों अभियुक्तों की पहचान करता है लेकिन उनके नाम नहीं जानता है। उन्होंने कहा है कि अनूप जैसवाल की मौत उन पर की गई गोलीबारी के कारण हुई है।

15.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि शराब की दुकान ईट से बनी इमारत में चलाई जाती थी और दुकान में केवल एक गेट था। पास में कई दुकानें थीं। उसने बयान दिया है कि वह आरोपी का पीछा करते समय पुलिस के साथ नहीं था। जब अभियुक्तों से जब्त की गई वस्तुओं को दुकान पर लाया गया था, तब भी वह वहाँ नहीं था। वह कटैया थाना नहीं गया था। वह गलत तरीके से गवाही देने से इनकार करता है।

16. अभि०ग०, अर्थात् प्रभुनाथ गुप्ता ने कहा है कि प्रश्नगत समय में वह उक्त दुकान में विक्रेता थे और शराब बेच रहे थे। उनके साथ सेल्समैन संजय गुप्ता और मकरध्वज चौधरी भी मौजूद थे। चार आरोपी वहाँ आए। उनमें से एक गेट पर रहा जबकि अन्य तीनों दुकान में घुस गए। एक आरोपी ने उस पर और संजय गुप्ता पर देसी पिस्तौल तान दी। उन्होंने मकरध्वज चौधरी के साथ बहस शुरू कर दी और एक आरोपी ने शराब की बोतलें, पाउच और शराब बेचकर एकत्र की गई 7000/-रु० की राशि भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस समय तक अनूप जयसवाल वहाँ पहुँच गए और डकैती के इस कृत्य का विरोध किया। इस पर, उस पर हमला भी किया गया और जिस आरोपी ने उस पर पिस्तौल तान दी थी, उसने अनूप जयसवाल के पेट में गोली चला दी। अभियुक्त द्वारा की गई गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी भागने लगे और गवाह ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एक घंटे के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दुकान पर ले आई, जिसके कब्जे से 7000/- रुपये की राशि बरामद हुई दो आग्नेयास्त्रों और 10-11 गोलियों के साथ बरामद किया गया। इसके बाद उन्होंने एक लिखित आवेदन तैयार किया और उसे थाने में जमा कर दिया। उन्होंने उसी पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है जिसे साक्ष्य-2 के रूप में चिह्नित किया गया है। वह अपराध में शामिल दो अभियुक्तों की पहचान चेहरे से करता है, लेकिन उन्हें उनके नाम याद नहीं हैं।

16.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग गया था। वह कुछ अन्य स्थानीय लोगों के साथ पैदल बाजार की ओर गया था और एक घंटा के बाद वह छितौना स्कूल के पास पुलिसकर्मियों से मिला था। पुलिस दल छितौना स्कूल से आगे निकल गया और फिर से प्रश्नगत दुकान प्रश्नगत आया। उनकी उपस्थिति में कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा है कि 7000/-रु०, दो आग्नेयास्त्र और गोलियां बरामद की गईं। उसे गोलियों का रंग याद नहीं है और न ही नोटों का मूल्य। घटना स्थल से विद्यालय की दूरी लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। वह आरोपी को पहले से नहीं जानता था। वह मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता।

17. अभि०ग० 6, अर्थात् महेंद्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि 02.11.2014 पर उन्हें कटिया थाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें 9:15 बजे अपराह्न में जानकारी मिली कि चार अभियुक्त व्यक्तियों ने सरकारी शराब की दुकान में लूटपाट की है और गोली चलाकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया है। यह जानकारी मिलने पर वह पुलिस बल और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ घटना स्थल की ओर बढ़े। घटना स्थल पर उन्हें स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर बाथुआ बाजार की ओर भाग गए हैं। जब वह कल्याणपुर हाई स्कूल के पास पहुंचा तो उसने आरोपी को मोटरसाइकिल की हेडलाइट की मरम्मत करते हुए पाया। जब पुलिस की जीप वहां पहुंची तो वे भागने लगे, लेकिन पीछा करने पर उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी राजू बिंद के पास से एक लोडेड देशी कट्टा, आरोपी रोहित कुमार के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस, आरोपी फैयाज के पास से तीन जिंदा कारतूस और तीन जिंदा कारतूस तथा 7000/-रु० अभियुक्त हीरा साहनी से। जब्त की गई वस्तुओं की जब्ती-सूची दो स्वतंत्रता गवाहों भोला जायसवाल और छठी केसरी की उपस्थिति में तैयार की गई और एक प्रति आरोपी को सौंपी गई। उन्होंने जब्ती-सूची की पहचान की है जो उनकी लिखावट में है और भोला जायसवाल द्वारा हस्ताक्षरित है। इसे साक्ष्य-3 के रूप में चिह्नित किया गया है। वह सभी अभियुक्तों की पहचान करने का दावा करता है और अदालत में मौजूद दोनों अभियुक्तों की पहचान फैयाज और राबू बिंद के रूप में करता है।

17.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसके पास कॉल का विवरण नहीं है, लेकिन उसे सरकारी शराब की दुकान से फोन आया था। वह और अन्य लोग 4-5 मिनट के बाद घटना स्थल के लिए रवाना हुए और 25 मिनट में जमुनाहा बाजार पहुंच गए। जमुनाहा से स्कूल की दूरी 10-12 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल खराब हालत में थी क्योंकि उसी समय उसकी हेडलाइट खराब हो गई थी। 500 के दो और 100 के छत्तीस मूल्यवर्ग के नोट थे। उन्हें नोटों की संख्या याद नहीं है। वह पहले से किसी भी आरोपी को नहीं जानता है। वह भोला जैसवाल और कट्टू केसरी को भी नहीं जानता। वह इस सुझाव

से इनकार करते हैं कि वह अभियुक्तों को उनके घर से पकड़ लिया और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया।

18. पी. डब्ल्यू. 7.डॉ. संजीव कुमार इलाज करने वाले डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि 27 नवंबर, 2014 को उन्हें सदर अस्पताल जी. पी. जे. में एम. ओ. के रूप में तैनात किया गया था। कई डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके वे सदस्य थे। अनूप के. कु. मेडिकल बोर्ड द्वारा जैसवाल के शव का *पोस्टमार्टम* का संचालन किया गया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

“बाहरी जाँच पर -

- I. मृत्यु जनित कठोरता सभी चार अंग में मौजूद थे, लेकिन गायब हो रहे थे।
- II. नाभि के उपरिजंघिका से लेकर बाएं उपचर्म क्षेत्र तक सिलाई पाई गई।
- III. सीट्र में नासोगैस्ट्रिक ट्यूब।
- IV. सी. वी. पी. ने आई. जे. वी. वी. इलियोस्टोमी ट्यूब को चालू स्थान पर छोड़ दिया।
- V. सीट्र में इलियोस्टोमी
- VI. आर.आई.एफ में कोलोस्टोमी ट्यूब
- VII. बाएं मध्य पीठ में पित्त स्राव के साथ सूती पाया गया।
- VIII. बाएँ उप-तटीय और आर. टी. लम्बर क्वाल्रांट से बाहर निकलने वाले दो ट्यूब ब्रेन।

विच्छेदन पर: .

(i) सिर और गर्दन-खोपड़ी को अक्षत झिल्ली, मस्तिष्क को पीला और अक्षत।

वक्ष:- दीवार अक्षुण्ण, फेफड़े पीले पड़ जाते हैं। हृदय के दोनों कक्ष खाली हैं।

पेट: 1. बाएं एलोम डायफ्राम मैग्नीन पेट और आंतों के खाली। फीडिंग ट्यूब इंसितु के साथ एलोम डायफ्राम गैंग्रीन जेजुनम में चीरा। फाइल दाग के साथ उप डायफ्रामिक फोड़ा मौजूद होता है। पेट की गुहा में मौजूद पित्त दाग पस। प्लीहा अनुपस्थित। मूत्राशय खाली है।

मृत्यु के बाद का समय-24 से 48 घंटों के भीतर।

राय-आरोपों के बाद तीन चीर-फाड़ का इतिहास रहा है। पेट और छाती में आग्नेयास्त्रों की चोट। ऑपरेशन के.जे.एम.सी. लखनऊ में किया गया था। उनके डिस्चार्ज सारांश को देखें।

मृत्यु का कारण-कथित रूप से आग्नेयास्त्रों की चोट के लिए की गई कई सर्जरी के बाद सदमे के सेप्टिसेमिक के कारण।

18.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उन्हें अब चोट की तारीख और समय के बारे में पता है और उन्होंने अनुमान पर रिपोर्ट जमा करने से इनकार किया है और यह सच नहीं है।

19. अभि०ग० 8 उदय कुमार सिंह जांच का प्रभार संभालने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि 02.11.2014 का उन्हें कातिया थाना में पुलिस निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था। प्रभुनाथ गुप्ता की लिखित शिकायत पर उन्हें जांच का प्रभार सौंप दिया गया। उन्होंने प्रभुनाथ गुप्ता की लिखावट और हस्ताक्षर में प्रस्तुत लिखित शिकायत की पहचान की है और इसे साक्ष्य-2/2 के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। उन्होंने जब्ती की सूची प्राप्त की और इसे केस डायरी में अंकित किया। उन्होंने शिकायतकर्ता का बयान और गवाह संजय साह और मकरध्वज चौधरी का बयान दर्ज किया। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया जो पूर्व रूख की ओर एक कमरे में ईंट से निर्मित और सरकारी शराब की दुकान संख्या 1 है। उत्तर की ओर एक सड़क है, दक्षिण में मकरध्वज चौधरी की इमारत है, पूर्व में एक गली है और पश्चिम में शंभू साह की दवा की दुकान है। उसने आगे कहा है कि उसने आरोपी हीरा साहनी का इकबालिया बयान दर्ज किया है और वह उसी पर उसकी लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान करता है। इसे साक्ष्य-5 के रूप में चिह्नित किया जाए। उन्होंने मृतक अनूप कुमार जायसवाल की मृत्यु समीक्षा कार्बन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की थी। वह उसी की कार्बन प्रति को अपनी लिखावट और हस्ताक्षर में होने की पहचान करते हैं। इसे साक्ष्य-6 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि 03.01.2015 को उनके स्थानांतरण के कारण, उन्होंने स्टेशन हाउस अधिकारी श्री महेंद्र कुमार को जांच का प्रभार सौंप दिया।

19.1.अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 नवंबर, 2014 को जांच का प्रभार संभाला और वे पहले जांच अधिकारी थे। उन्होंने शिकायतकर्ता प्रभुनाथ गुप्ता और गवाह संजय साह, मकरध्वज चौधरी और महेंद्र कुमार के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें पुलिस स्टेशन में जब्ती-सूची मिली है। उसने थाने में संजय और मकरध्वज के बयान दर्ज किए थे। गवाहों ने उन्हें शराब की बिक्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखाया था। घटना स्थल का निरीक्षण करते समय, उन्हें कोई भी आपत्तिजनक परिस्थितिजन्य सबूत नहीं मिला जो अपराध को साबित कर सके। वह इस बात से इनकार करता है कि उसने धमकी देकर और बल प्रयोग करके आरोपी हीरा साहनी का इकबालिया बयान लिया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने एक त्रुटिपूर्ण जांच की थी।

20. पी. डब्ल्यू. 9 चंद्रशेखर आजाद एक अन्य जाँच अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 06.01.2015 को महेंद्र कुमार सिंह से जांच का प्रभार संभाला, मूल दस्तावेजों को संरक्षित किया, केस डायरी का अवलोकन किया और 08.01.2015 को घटना स्थल का दौरा किया और गवाह राजन जायसवाल और जवाहिर खेहरी के बयान दर्ज किए। 27.01.2015 को, अदालत के आदेश के अनुपालन में बैलिस्टिक विशेषज्ञ रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसी को केस डायरी में दर्ज किया गया। उन्होंने 7000/-रु० रुपये की राशि भी जमा की, देशी पिस्तौल (कट्टा) के साथ, 4 मिसफायर्ड गोलियां, 4 जिंदा कारतूस और 2 सैमसंग मोबाइल, 1 नोकिया मोबाइल और एक लावा मोबाइल जिन्हें क्रमशः प्रदर्श-1 से IV/3 के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके बाद, उन्होंने आरोपी हीरा साहनी, राजू बिंद, रोहित कुमार, फैयाज अली के खिलाफ भा०दं०सं० की धारा-302,394,411 और शस्त्र अधिनियम की धारा-27,25 (i) (ए), 26 और 35 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

20.1.अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि नोटों पर कोई विशेष निशान नहीं था। उन्होंने कट्टा की जांच कराई थी और किसी कंपनी का कोई निशान नहीं था। उसे मोबाइल की कॉल डिटेल्स नहीं मिली थी। केस डायरी में कॉल विवरण का कोई उल्लेख नहीं है। मोबाइल के मालिक का नाम डायरी में नहीं है और न ही उसने केस डायरी में सिम की

कंपनी का उल्लेख किया है। उसने दुकान के स्टॉक रजिस्टर से बरामद शराब का सत्यापन नहीं किया था। उसे उस जगह की दूरी का पता नहीं है जहाँ से दुकान से कट्टा बरामद किया गया था। उन्होंने स्कूल के आस-पास के लोगों के बयान दर्ज नहीं किए थे। सभी गोलियाँ एक ही रंग की थीं। उन्होंने किसी भी आरोपी के घर की दूरी नहीं पूछी थी। उन्होंने अभियुक्तों को गलत तरीके से फंसाने के सुझाव से इनकार किया है और कहा है कि वास्तव में उन्हें उनके घर से घसीटा गया था और वर्तमान मामले में मामला दर्ज किया गया था और बरामद की गई वस्तुओं को उनके कब्जे से जब्त नहीं किया गया था, बल्कि पुलिस ने बरामदगी की व्यवस्था की थी।

20.2. अपनी आगे की मुख्य परीक्षा में, उन्होंने कहा है कि 27.01.2015 को उनके प्रभारी वरिष्ठ अनिल कुमार मल्होत्रा ने कटीया थाना केस नं. 256/14 में बैलिस्टिक विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वही अनिल कुमार मल्होत्रा की लिखावट और हस्ताक्षर में है जिसकी वे पहचान करते हैं। उसी को प्रदर्श-7 के रूप में चिह्नित किया जाए।

20.3. अपनी आगे की जिरह में उन्होंने कहा है कि उनकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। इसमें उनके प्रभारी कनिष्ठ का प्रारंभिक नाम है।

21. हमने विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है। अभिलेख से यह पता चलता है कि लिखित शिकायत थाना अधिकारी, कटिया, गोपालगंज को अभि०ग० 5, सूचक द्वारा दी गई थी, जो कथित घटना के लिए 01.11.2014 को लगभग 9:00 बजे अपराह्न में हुई थी आरोप है कि चार अज्ञात व्यक्ति दो देशी पिस्तौल लेकर शराब की दुकान पर आए, सूचना देने वाले और दुकान में मौजूद दो अन्य लोगों को धमकी दी।

22. प्राथमिकी से पता चलता है कि सूचक और ग्रामीणों ने आरोपी का पीछा छितौना स्कूल तक किया। उस समय, पुलिस उक्त स्थान पर आई और इसलिए, सूचक और गाँव के अन्य लोग उक्त स्थान से लौट आए। लिखित शिकायत में आगे कहा गया है कि लगभग 6:45 बजे अगले दिन सुबह, यानी 02.11.2014 के, पुलिस चार लोगों के साथ

आई जो दो मोटरसाइकिलों पर मौके से भाग गए। उक्त व्यक्तियों को दो देसी पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस और उक्त दुकान से लूटी गई राशि के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह आगे कहा गया है कि सूचक और अन्य व्यक्तियों ने चार व्यक्तियों की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की है जिन्होंने डकैती की है और जिनमें से एक ने अनूप कुमार जायसवाल पर अपनी देसी पिस्तौल से गोली चलाई है, जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो गया। इस स्तर पर, यह आश्चर्य की बात है कि हालांकि पुलिस आरोपी व्यक्तियों के साथ घटना स्थल पर आई थी, लेकिन सूचना देने वाले को पुलिस को लिखित शिकायत देने की क्या आवश्यकता थी। पुलिस ने सूचक का *फरदबेयान* दर्ज नहीं किया है। इसके बजाय, उनसे लिखित शिकायत ली गई। यह भी पता चलता है कि घटना स्थल और जिस स्थान से चार अभियुक्तों को पकड़ा गया था, उसके बीच की दूरी केवल 7 से 8 किलोमीटर है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी मुख्य सड़क पर मोटरसाइकिल की हेडलाइट की मरम्मत कर रहे थे और उक्त स्थान से पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उक्त कहानी भी विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त का पीछा करने वाले अधिकारी द्वारा तैयार की गई जब्ती सूची से पता चलता है कि उक्त जब्ती सूची 12:10 बजे तैयार की गई थी 01.11.2014 के रात के दौरान। हालाँकि, पुलिस चारों व्यक्तियों को 6:45 बजे घटना स्थल पर ले आई 02.11.2014 की सुबह को इसके अलावा, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परीक्षण पहचान परेड का संचालन जांच एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था और आश्चर्य की बात है कि आरोपियों को घटना स्थल पर लाया गया और पुलिस की उपस्थिति में तथाकथित चशमदीद गवाहों ने उनकी पहचान की है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष-गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में बड़े विरोधाभास और विसंगति हैं। लिखित शिकायत में सूचक ने कहा है कि लूटी गई राशि आरोपी से बरामद कर ली गई है। हालांकि, उन्होंने सटीक आंकड़ा नहीं दिया है, जबकि अभि०ग० 2 ने अपनी जिरह में कहा है कि आरोपी से 12,000/-रु० बरामद किया गया था। अभि०ग० 5 ने जिरह के दौरान कहा है कि 7000/-रु० अभियुक्त से बरामद किया गया था। इसी तरह, अभि०ग० 6, पुलिस अधिकारी जिसने आरोपी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया, ने भी अपने मुख्य

परीक्षा में कहा है कि 7000/-रु० आरोपी हीरा साहनी से बरामद किया गया था। यहां तक कि भा०दं०सं० की धारा-394 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था। हालांकि, इस स्तर पर, यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि विद्वत निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ भा०दं०सं० की धारा-394 के तहत आरोप तय नहीं किया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के इस सिद्धांत पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है कि चार आरोपी व्यक्ति सूचक की दुकान पर आए और लूटपाट की और उक्त उद्देश्य के लिए, जब एक व्यक्ति दुकान पर आया, तो उसे आरोपी ने गोली मार दी थी। इस प्रकार, अभियोजन भा०दं०सं० की धारा-302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अभियोजन, ने डकैती करने के संबंध को जिम्मेदार ठहराया, वास्तव में, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जाता है। इस प्रकार, जब भा०दं०सं० की धारा-394 के तहत दंडनीय अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष सेवा में नहीं लगाया जाता है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि आरोपी का घटना स्थल पर आने और मृतक को मारने का क्या इरादा था।

23. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से आगे यह पता चलता है कि परीक्षण पहचान परेड, कानून के प्रावधानों के अनुसार, जांच एजेंसी द्वारा भी संचालित नहीं किया गया था। इसके बजाय, अभियुक्तों को सीधे घटना स्थल पर लाया गया जहाँ तथाकथित चश्मदीद गवाहों ने पुलिस की उपस्थिति में अभियुक्त की पहचान की है। पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाई गई इस तरह की प्रथा कानून के लिए अज्ञात है।

24. अभिलेख से आगे यह पता चलता है कि घटना स्थल और जिस स्थान से अभियुक्तों को पकड़ा गया था, उसके बीच की दूरी केवल 7 से 8 किलोमीटर है। सूचक के अनुसार, पुलिस 25 मिनट के भीतर आ गई। उस समय वे छितौना स्कूल के पास थे। इसका मतलब है कि पुलिस लगभग 9:30-9:45 बजे अपराह्न उक्त स्थान पर आई और यदि उस स्थान से उक्त स्थान के बीच की दूरी जहां से आरोपी मोटरसाइकिल की हेडलाइट की मरम्मत कर रहे थे केवल 5-7 कि. मी. है। , पुलिस लगभग 10:00-10:15 बजे अपराह्न तक उक्त स्थान पर पहुंच सकती थी हालाँकि, जब्ती पंचनामा से, यह पता चलता

है कि जब्ती पंचनामा लगभग 12:10 बजे रात में शुरू हुई थी: और यह आश्चर्यजनक है कि 6:45 बजे अगले दिन सुबह पुलिस आरोपी के साथ घटना स्थल पर आई। 12:10 से 6:45 बजे सुबह अभियोजन पक्ष द्वारा बिल्कुल भी समझाया नहीं गया है। यह भी आश्चर्य की बात है कि हालांकि आरोपी को पुलिस द्वारा घटना स्थल पर लाया गया था और सूचक भी मौजूद था, लेकिन न तो उसका फरदबेयान दर्ज किया गया था और न ही पुलिस अधिकारी द्वारा सूचक की लिखित शिकायत प्राप्त की गई थी।

25. इसके अलावा, जांच करने वाले अभि०ग० 8 के बयान से यह पता चलता है कि जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया है कि हालांकि उसने घटना स्थल का दौरा किया था और उसकी जांच की थी, लेकिन उसे उक्त स्थान पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि हालांकि आरोपी के पास से दो देशी पिस्तौल बरामद किए गए थे, खाली और जीवित कारतूस के साथ, उक्त पिस्तौल को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा आवश्यक विश्लेषण और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय लेने के लिए नहीं भेजा गया था। यह भी पता चला है कि घायल व्यक्ति को चोटें आई हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, 23 दिनों से अधिक की अवधि के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उक्त अवधि के दौरान, पुलिस द्वारा उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था और न ही उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कुछ भी अभिलेख में लाया गया था। उक्त घायल को क्या इलाज दिया गया था, यह भी अभिलेख में नहीं लाया गया है। जिस डॉक्टर ने घायलों का इलाज किया था, उसकी भी अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई है।

26. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों/अभियुक्तों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद विद्वत निचली अदालत ने विवादित आदेश पारित किया है और इसलिए, उक्त आदेश को खारिज करने और रद्द करने की आवश्यकता है।

27. तदनुसार, 2016 के सत्र परीक्षण संख्या 109 (2014 के कटिया थाना कांड संख्या 256 से उत्पन्न) के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, गोपालगंज द्वारा

पारित दोषसिद्धि के अछेपित सामान्य निर्णय और सजा के आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी, अर्थात्, फैयाज अली, हीरा साहनी और राजू बिंद उर्फ राजलाल बिंद उर्फ राजू बिन को विद्वत निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है ।

28. चूँकि ऊपर नामित सभी अपीलार्थी जेल में हैं, यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

29. सभी अपीलों की अनुमति है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

के.सी.झा/ -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।